सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 30, मंगलवार, शाके 1942–जुलाई 21, 2020 *Asadha 30, Tuesday, Saka 1942–July 21, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, जून 03, 2020

संख्या एफ 8(1) SLM/ IR / शिकायत/2019/9880 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19 /18931 दिनांक 16.7.2019 के द्वारा कर्मचारी ट्रेड यूनियन जयपुर नगर निगम, जयपुर जिसकी पंजीयन संख्या जे.पी./एआरटीयू/16/2005 थी, के द्वारा वर्ष 2006 से 2017 तक का ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण पंजीयन को निरस्त (रद्व) कर दिया गया था।

उक्त संगठन द्वारा दिनांक 10.01.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक 31.1.2019 एवं दिनांक 30.4.2019 को जारी किये गये कारण बताओ (शॉ-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक 19.6.2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी भी नही हो पाई तथा वे लगातार कार्यशील रहे है तथा अपने सदस्यों के हितार्थ निरन्तर रूप से कार्य रहे है।

इस दौरान इस कार्यालय में उक्त संगठन के विरूद्ध इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई कि संगठन द्वारा नगर निगम में कैन्टीन एवं पार्किग का ठेका लेकर, निगम कोष का गबन किया जा रहा है तथा संगठन की बहाली के लिए फर्जी आकडे तैयार कर रिर्टन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाकर उसके पंजीयन को बहाल करवाया जा रहा है, जिसे नहीं किया जावें।

श्रम संगठन के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की प्रति उक्त संगठन को भेजकर बिन्दुवार जवाब चाहा गया तथा दिनांक 27.02.2020 को सुना गया। प्रार्थना पत्र एवं दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मैं सन्तुष्ठ हूं । अतः मैं पतंजलि भू, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/19/18931 दिनांक 16.7.2019 मे अंकित श्रम संघ का नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

<u>पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघ का विवरण</u>

क्र.सं.	श्रम संघ का नाम एवं पता	पंजीयन संख्या	आदेश दिनांक 16/7/2019 में अंकित क्रम संख्या
1.	कर्मचारी ट्रेड यूनियन	JP/ARTU/16/ 2005	530

	जयपुर नगर निगम, जयपुर नगर निगम कार्यालय, लालकोठी, जयपुर।		

पतंजलि भू ,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।